



APR-93

महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं०: 0522-2337453

सीयूजी : 9454400167

Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

## पीएसी मुख्यालय उत्तर प्रदेश

पत्रांक:पीएसी-1-152(1)2026 / 944  
दिनांक:अप्रैल 02, 2026

### आदेश

पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना" उ०प्र० के पत्र संख्या: दस-329/2025(अधियाचन-1015)/109 दिनांक 17.11.2025 द्वारा प्राप्त उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2025 दिनांक 10.11.2025 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2025 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 990 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह मार्च 2026 की 18 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी०आर० को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	1829	060440990	अनिल कुमार पाण्डेय	राम इकबाल पाण्डेय	गोरखपुर	2025
2	1830	060490777	नील कमल प्रसाद	राम सरन प्रसाद	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
3	1831	060490490	दिलीप कुमार	जगरोपन प्रसाद	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
4	1832	060570693	मनोज कुमार विश्वकर्मा	गुदर प्रसाद विश्वकर्मा	बलरामपुर	2025
5	1833	060601344	अब्दुल मन्नान	अब्दुल मजीद	सिद्धार्थनगर	2025
6	1834	060697354	प्रवीण कुमार यादव	उमाशंकर यादव	39वीं वाहिनी मीरजापुर	2025
7	1835	060582108	अशोक कुमार साहनी	मोतीलाल	27वीं वाहिनी सीतापुर	2025
8	1836	060620662	प्रहलाद कुमार	सिद्धू	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
9	1837	060490881	रामरक्षा यादव	रामहरी यादव	बरती	2025
10	1838	060531100	मनोज कुमार शर्मा	राम मिलन शर्मा	कमिश्नरेट वाराणसी	2025
11	1839	061862135	धर्मेन्द्र कुमार यादव	अमरनाथ यादव	06वीं वाहिनी मेरठ	2025
12	1841	060501862	कमलेश्वर कुमार	बुद्धन प्रसाद	11वीं वाहिनी सीतापुर	2025
13	1843	060501022	मोहम्मद अली	आविद अली	बरती	2025
14	1844	060601458	गणेश कुमार यादव	केदार यादव	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
15	1845	060490911	अमित कुमार	श्री उमाशंकर	संतकबीरनगर	2025
16	1846	060660145	त्रिभुवन कुमार गौड़	राम श्रंगार प्रसाद	संतकबीरनगर	2025
17	1847	060501080	महेश प्रसाद	खेलावन प्रसाद	कमिश्नरेट लखनऊ	2025
18	1848	060490302	मुन्ना प्रसाद	हरहंगी प्रसाद	कमिश्नरेट लखनऊ	2025

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई/कमिश्नरेट में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती हैं तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। पदोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षियों को रिक्ति के सापेक्ष समायोजित स्थानान्तरित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा-पत्र

( डा० प्रीतिन्दर सिंह )  
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,  
उ०प्र० लखनऊ।

**प्रतिलिपि:**—निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1— पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ/वाराणसी।
- 2— पुलिस महानिरीक्षक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
- 3— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ०प्र० लखनऊ।
- 5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।
- 7— सेनानायक, ०६वीं/११वीं/२७वीं/३९वीं वाहिनी पीएसी उ०प्र०।
- 8— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर/बलरामपुर/सिद्धार्थनगर  
/बस्ती/संतकबीरनगर।

स्वघोषणा-पत्र

मैं.....(नाम/पदनाम व पीएनओ) .....  
 पुत्र.....निवासी ..... थाना..  
 जनपद.....वर्तमान में ( जनपद/इकाई का नाम).....  
 नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र ..... का आरक्षी हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

( नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)  
 नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण .....
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की ( दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ..... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक ..... को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०.....धारा.....थाना..... जनपद..... में लम्बित है, जिसमें दिनांक ..... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी ..... द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में ..... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी  
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये।